

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230481
SG-DL-E-18102021-230481

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 210
No. 297]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943	[N. C. T. D. No. 210

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2021

फा. सं.16(1)/श.वि./जल/2000-01/1280.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1998) की धारा 3(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसका गठन इस सरकार के अधिनियम संख्या एफ.16(1)/श.वि./दि.ज.बो./98-99/4199 दिनांक 6 अप्रैल, 1998 के अनुरूप किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली जल बोर्ड के उक्त अधिनियम के अनुभाग (3) की उपधारा (2) की धारा (viii) के अंतर्गत, श्री अजय गुप्ता, मुख्य अभियन्ता को, इस अधिसूचना के बाद कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष तक दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य (जल निकास) के रूप में सहर्ष मनोनीत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के
आदेश से एवं उनके नाम पर,

सुभाष चंद्रा, विशेष सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th October, 2021

F. No.16(1)/UD/W/2000-01/1280.—In exercise of the powers conferred by Section 3(2) of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to nominate Sh. Ajay Gupta, Chief Engineer, Delhi Jal Board as Member (Drainage) for a period of one year from the date of joining after notification, in Delhi Jal Board, under clause (viii) of sub-section (2) of section (3) of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SUBHASH CHANDRA, Special Secy. (UD)